"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2005—श्रावण 8, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2005

क्रमांक-6275/21-अ/प्रारुपण/छ.ग./05.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-7-05 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का क्रमांक 29) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जावेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का क्रमांक 29).

धारा 2 एवं 20 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) (क) एवं धारा 20 की उपधारा (1) में शब्दों एवं अंकों "माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1940 (1940 का क्रमांक 10)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का क्रमांक 26)" स्थापित किया जावे.

धारा 13 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द "भोपाल" के स्थान पर शब्द "रायपुर" स्थापित किया जावे.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2005

क्रमांक-6275/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 8 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2005)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ACT, 2005

A Act to amend The Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-sixth year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definition.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

"Principal Adhiniyam" means the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Amendment of Section 2 and 20.

3. In Sub-section (1) (a) of Section 2 and Sub-section (1) of Section 20 of the Principal Adhiniyam, for the words and figures "Arbitration Act, 1940 (No. 10 of 1940)" the words and figures "the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996)" shall be substituted.

Amendment of Section 13.

4. In Section 13 of the Principal Adhiniyam for the word "Bhopal" the word "Raipur" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.